

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, 1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 03 जून, 1997

विषय, मेला अधिनियम 1938 के अन्तर्गत घोषित मेला क्षेत्र में मानचित्रों की स्वीकृति सम्बन्धी निर्देश।

महोदय,

नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्रों में मानचित्रों स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए शासनादेश संख्या: 1614/9-आ-3-97-38वि/97 दिनांक 01 मई, 1997 जारी किया जा चुका है। इस शासनादेश द्वारा 100 वर्गमीटर तक के भूखण्डों एवं 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों, आवासीय भवनों का पुर्ननिर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरों में उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम-1938 के अन्तर्गत घोषित मेला क्षेत्रों में उक्त शासनादेश दिनांक 01 मई, 1997 में की गयी व्यवस्था लागू नहीं होगी।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्या: 1925 (1)/9-आ-3-97-38वि/1997, तददिनांक

उपरोक्त की एक प्रति नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

पी०एन० सिंह
अनुसचिव